(i)उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला) तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ना0पु0(पीसी) के पदों हेतु

अभ्यर्थी ने दिनांक 01–07–2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02–07–1997 से पूर्व तथा 01–07–2004 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(ii) प्लाटून कमाण्डर पीएसी (पुरूष)/ उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस (पुरूष) तथा प्लाटून कमाण्डर /उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल (पुरूष) के पदों हेतु

अभ्यर्थी ने दिनांक 01–07–2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01–07–1997 से पूर्व तथा 01–07–2004 के बाद का नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये ।

परन्तु यह कि इस भर्ती में आयु में छूट दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या : 972187/6–1001(008)/24/2023.,दिनांक–26.05.2025 के कम में मात्र इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 03 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2.9 इस सम्बन्ध में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा छूट की स्थिति निम्नवत होगी:–

<u>श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट तालिका</u>

क0सं0	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा में छूट (श्रेणी व आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार)	उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला) तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ना0पु0(पीसी)		प्लाटून कमाण्डर पीएसी (पुरूष)/ उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस (पुरूष) तथा प्लाटून कमाण्डर /उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल (पुरूष)	
			कब से	कब तक	कब से	कब तक
1	सामान्य श्रेणी	03 वर्ष	02.07.1994	01.07.2004	01.07.1994	01.07.2004
2	अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	05 वर्ष+03 वर्ष	02.07.1989	01.07.2004	01.07.1989	01.07.2004
3	अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	05 वर्ष+03 वर्ष	02.07.1989	01.07.2004	01.07.1989	01.07.2004

क0सं0	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा में छूट (श्रेणी व आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार)	उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (पुरूष/महिला) तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ना0पु0(पीसी)		प्लाटून कमाण्डर पीएसी (पुरूष)/ उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस (पुरूष) तथा प्लाटून कमाण्डर /उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल (पुरूष)	
			कब से	कब तक	कब से	कब तक
4	अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	05 वर्ष+03 वर्ष	02.07.1989	01.07.2004	01.07.1989	01.07.2004
5	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।	05 वर्ष+03 वर्ष	02.07.1989	01.07.2004	01.07.1989	01.07.2004
6	उ0प्र0राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है	भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (03 वर्ष+03 वर्ष)	वास्तविक आयु–सेवा अवधि= परिणामी आयु(परिणामी आयु दिनांक 01.07.2025 को 34 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो)		वास्तविक आयु–सेवा अवधि= परिणामी आयु (परिणामी आयु दिनांक 01.07.2025 को 34 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो)	

2.10 **चरित्र**

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपना समाधान किया जायेगा।

टिप्पणी–

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें।